दसवीं लोक सभा, खंड 8, अंक 1

सोमवार, 24 फरवरी, 1992
5 फाल्गुन, 1913 (शक)

R24

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 1, सोमवार, 24 फरवरी, 1992/5 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1 और 22
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा-पटल पर रखा गया	1—15
निधन संबंधी उल्लेख	15—17
रेल बजट का प्रस्तुतिकरण	17—20
सभा पटल पर रखे गए पत्र	20—22
रेल अभिसमय समिति पहला प्रतिवेदन	22
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—प्रस्तुत	22

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री टी० जे०

अंसारी, श्री मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजीत सिंह, श्री

अडईकलराज, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अब्राहम चार्ल्स, श्री

अभय प्रताप सिंह, श्री

अन्बारासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अय्यूब खान, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

अशोक राज, श्री ए०

अहमद, श्री इ०

अहिरवार, श्री आनन्द

आचार्य, श्री वसुदेव

आजम, डा० फैयाजुल

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इ

इम्चालम्बा, श्री

इन्द्रजीत, श्री

इस्लाम, श्री नुरुल

उ

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्मे, श्री लाईना

उमा भारती, कुमारी

उमारेड्डी, श्री वेंकटश्वरलू

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उरांव, श्री ललित

उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओ

ओडेयर, श्री चनैया

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन

क

कमल, श्री श्यामलाल

कमल नाथ, श्री

कमालुद्दीन अहमद, श्री

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कटियार, श्री विनय

कठेरिया, श्री प्रभूदयाल

कनोजिया, डा० जी० एल०

कनोडिया, श्री महेश

करेद्दुल्ला, कुमारी कमला कुमारी

कच्छवां, श्री राम सिंह

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कांशी राम, श्री

कापसे, श्री राम

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० मिजिनलंग

कालका दास, श्री

कालियापेरूमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकरराव डी०

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुन्जी लाल, श्री

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुड्डुमुला, कुमारी पद्मश्री

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बोलिन

कुसमरिया, श्री राम कृष्ण

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्णेन्द्र कौर, श्रीमती

कृष्णस्वामी, श्री एम०

केनिथी, डा० विश्वनाथम

*केवल सिंह, श्री

केशरी लाल, श्री

*केरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोनाथाला, श्री रामकृष्ण

कोरी, श्री गया प्रसाद

कोली, श्री गंगाराम

*कौर, श्रीमती सुखबंस

कौल, श्रीमती शीला

ख

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खनोरिया, श्री डी० डी०

खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की ।

खां, श्री सुखेन्दू

खुराना, श्री मदन लाल

खुर्शीद, श्री सलमान

ग

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गफूर, श्री अब्दुल

गहलोत, श्री अशोक

गामित, श्री छोतुभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

*गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गावित, श्री मानिकराव होडल्या

गिरि, श्री सुधीर

गिरिजा देवी, श्रीमती

गुंडाडिम्मी, श्री बी० के०

गुंदेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोहिल, डा० महावीरसिंह हरिसिंह जी

गोडा, श्री के० वेंकटगिरि

गौडर, श्री ए० एस०

गौतम, श्रीमती शीला

च

चंगोर, श्री रामचन्द्र मारोतराव

चाटोवर, श्री पवन सिंह

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की।

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चन्द्रशेखर, जी

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्रशेखर मूर्ति, श्री एम० वी०

चन्द्राकर, श्री चम्पूलाल

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री हरीसिंह

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई

चिखालिया, श्रीमती भावना

चिदम्बरम, श्री पी०

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्नीथाला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री के० वी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रामप्रकाश

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

*चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री चेतन पी० एम०

चौहान, श्री शिवराज सिंह

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की।

छ

छेतवाल, श्री सरताल सिंह
छोटे लाल, जी

ज

जंगवीर सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बुर
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जवाली, डा० बी० जी०
जसवंत सिंह, श्री
जांगडे, श्री खेलन राम
जाखड़, डा० बलराम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जे० चोक्काराव, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल

झ

झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहन लाल

ट

टंडल, श्री डी० जे०
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनम, श्री के० राममूर्ति
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०
टोपे, श्री अंकुश राव रायसाहब

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगोजी

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई

डेलकर, श्री मोहन एस०

डेनिस, श्री एन०

डोम, श्री रामचन्द्र

त

तंग्काबालु, श्री के० वी०

तारा सिंह, श्री

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

तिरकी, श्री पीयूष

तोपदार, श्री तरित वरण

तोपनो, कुमारी फिडा

तोमर, श्री रमेश चन्द

थ

थामस, श्री पी० सी०

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री संदीपन भगवान

द

दत्त, श्री अमल

दत्त, श्री सुनील

दलबीर सिंह, श्री

*दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह

दास, श्री जैनुद्दि चरण

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की ।

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

दीक्षित, श्री सुरेश चन्द्र

दीवान, श्री पवन

दुबे, श्रीमती सरोज

देका, श्री प्रवीन

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच० डी०

देवराजन, श्री वी०

देवी, श्रीमती विभू कुमारी

देवी बक्श सिंह, श्री

देवड़ा, श्री मुरली

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव

देशमुख, श्री चन्दुभाई

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

ध

धर्मभिक्षम, श्री

धूमल, प्रो० प्रेम

न

नंदी, श्री बेलैया

नवाले, श्री विदुर विठोबा

नाईक, श्री राम

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराया

नायक, श्री मृत्युंजय

नायक, श्री सुभाष चन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्द राव
नीतीश कुमार, श्री
नेताम, श्री अरविंद
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

प

पंवार, श्री हरपाल
पद्मा, डा०
पटनायक, श्री शरत् चन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री भूषिण
पटेल, श्री भीम सिंह
पटेल, श्री रामपूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिभाई
पटेल, श्री हरिभाई नानजी
पवार, डा० बसंत निंबरटी
पवार, श्री शरद
पांडियन, श्री डी०
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, कुमारी सूर्यकांता
पाटिल, श्री विजय नवल
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज

पाटील, श्री प्रकाश बी०

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटिल, श्री यशवंतराव

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ

पात्र, श्री कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द

पालचोला, श्री वेंकट रंगमा नायडू

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री रामविलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू

पेडमान, डा० पी० वल्लभ

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रकाश, श्री शशि

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण

प्रसाद, श्री बी० श्रीनिवास

प्रसाद श्री हरि केवल

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

प्रेमी, मंगलराम

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मो० अली अशरफ

फारूक, श्री एम० ओ० एच०

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुडलिंग

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बर्मन, श्री उधव

बर्मन, श्री पलास

*बरार, श्री जगमीत सिंह

बलियान, श्री नरेश कुमार

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

बापूहरि चोरे, श्री

बालयोगी, श्री जी० एम० सी०

बाला, डा० असीम

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

ब्रजभूषण शरण सिंह, श्री

बैठा, श्री महेन्द्र

बैरवा, श्री राम नारायण

भ

भंडारी, श्रीमती दिल कुमारी

भक्त, श्री मनोरंजन

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की ।

भगत, श्री विश्वेश्वर

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाग्ये गोवर्धन, श्री

*भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव

भोंसले, श्री प्रताप राव बी०

भोई, डा० कृपासिंधु

म

मंजयलाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मा नन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मनफूल सिंह, श्री

मरन्डी, श्री कृष्ण

मरान्डी, श्री साईमन

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लू, डा० रवि

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस०

मसूद, श्री रशीद

महतो, श्री बीर सिंह

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की।

महतो, श्री शैलेन्द्र

महन्त, श्री अवैद्य नाथ

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

माडेगौड़ा, श्री जी०

माणे, श्री राजाराम शंकरराव

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिर्धा, श्री रामनिवास

मिश्र, श्री जर्नादन

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, श्री भेरूलाल

मुंडा, श्री कडिया

मुंडा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुव्रतं

मुखोपाध्याय, श्री अभय

मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुत्तेवार, श्री विलास

मुदालागिरियप्पा, श्री सी० पी०

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरमु, श्री रूप चन्द

मुरलीधरन, श्री के०

मुरूगेसन, डा० एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस०

मेघे, श्री दत्ता

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

मोल्लाह, श्री हन्नान

*मोहन सिंह, श्री
मौर्य, श्री आनन्द रत्न

य

*यशपाल, श्री
यादव, श्री अर्जुन सिंह
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुनचुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री राम शरण
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
युमनाम, श्री याइमा सिंह
योगानंद सरस्वती, श्री

र

रंगपी, डा० जयन्त
रथ, श्री रामचन्द्र
राजनारायण, श्री
राजरवि वर्मा, श्री वी०
राजु, श्री एस० विजयराय
राजु, श्री भू० विजय कुमार
रामुलु, डा० आर० के० जी०
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेंद्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बसव

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की ।

राजेश कुमार, श्री

राणा, श्री काशीराम

राम अवैध, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

राम, श्री रामदेव

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामबदन, श्री

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

रामसागर, श्री

राम सिंह, राव

राम सिंह, श्री

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री कल्पनाथ

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री रवि

राय, श्री रामनिहोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राठवा, श्री नारायणभाई जमलाभाई

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभुलाल

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

रावले श्री मोहन

राही, श्री राम लाल

रामेया, श्री बोल्ला बुल्ली

रेड्डी, श्री ए० इन्नकरन

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री जी० गंगा

रेड्डी, श्री बी० एन०

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा

रेड्डी, श्री एम० जी०

रेड्डी, श्री एम० बागा

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

रेड्डी, श्री वाई० एम० राजशेखर

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०

रोशन लाल, श्री

ल

लक्ष्मणन, प्रो० (श्रीमती) सावित्री

लालजन बाशा, श्री एस० एम०

लोढा, श्री गुमानमल

व

वड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

बघेला, श्री शंकर सिंह

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री भवानी लाल

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, कु० विमला

वर्मा, प्रो० (श्रीमती) रीता

वर्मा, श्री शिवशरण

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाम्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, मेजर जनरल आर० जी०
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री
वेकारिया, श्री एस० एन०
व्यास, डा० गिरिजा

श

शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शर्मा, पं० विश्वनाथ
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शंकरानन्द, श्री बी०
शाक्य, श्री महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
शाह, श्री मानवेन्द्र
शिगड़ा, श्री डी० वी०
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शिवप्पा, श्री के० जी०
शैलजा, कुमारी
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
श्रीधरन, डा० राजगोपालन

स

संगमा, श्री पूर्णो एजिटोक
संचाली, श्री दिलीप भाई
सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

सरोदे, डा० गणवन्त रामभाऊ

सलीम, श्री मोहम्मद युनूस

साक्षीजी, डा०

सानीपल्ली, श्री गंगाधर

साय, श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सावे, श्री मोरेश्वर

साही, श्रीमती कृष्णा

सादुल, श्री धर्मण्णा मेडिम्या

सिलवेरा, डा० सी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारा देवी

*सिंगला, श्री संत राम

सिंधिया, श्री माधव राव

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री केलनाथ

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, ठाकुर महेन्द्र कुमार

सिंह, श्री तेजनारायण

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राजवीर

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की।

सिंह, श्री राम नरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री शिव शरण

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री हरि किशोर

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंहदेव, श्री के० पी०

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन०

सुब्बाराव, श्री थोटा

सुर, श्री मनोरंजन

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सैकिया, श्री मुहीराम

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सैयद, श्री शाहबुद्दीन

सोढी, श्री मनकूराम

सोरेन, श्री शिबू

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

स्वामी, श्री जी० वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

सौंदरम, डा० (श्रीमती) के० एस०

ह

*हरचन्द सिंह, श्री

हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

हुड्डा, श्री भूपिन्दर सिंह

---

*24-2-1992 को शपथ ग्रहण की।

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकार्जुनैया

सभापति तालिका

राव राम सिंह

श्री शरद दिघे

श्री रशीद मसूद

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री पी० एम० सईद

श्री राम नाईक

महासचिव

श्री सी० के० जैन

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; महानगर विकास; इलैक्ट्रानिकी; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; रसायन और उर्वरक; ग्रामीण विकास; नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री पी० वी० नरसिंह राव
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
संसदीय कार्य मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
रेल मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	श्री के० विजय भास्कर रेड्डी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
जल संसाधन मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विदेश मंत्री	श्री माधव सिंह सोलंकी
रक्षा मंत्री	श्री शरद पवार

राज्य मंत्री

(स्वतन्त्र प्रभार)

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अशोक गहलोत
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कुमारी ममता बनर्जी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एदुआर्दो फैलीरो
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० ओ० एच० फारुक
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री	प्रो० पी० जे० कुरियन
कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० सी० लेंका

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चिन्ता मोहन
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई एच० पटेल
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शांताराम पोतदुखे
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री बलवीर सिंह
ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पी० के० थुंगन
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती जी० के० तारादेवी सिद्धार्थ

उप-मन्त्री

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री पवन सिंह घाटोवर
कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्रीमती के० कमला कुमारी
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री पी० वी० रंगय्या नायडू
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री राम लाल राही
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	कुमारी गिरिजा व्यास
कोयला मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री एस० बी० न्यामगोड

लोक सभा

सोमवार, 24 फरवरी, 1992/5 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 1.20 बजे म०प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)

श्री सुरेन्द्र सिंह कैरों (तरनतारन)

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर)

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़)

श्री संत राम सिंगला (पटियाला)

श्री गुरचरण सिंह गालिब (लुधियाना)

श्री गुरचरण सिंह दादाहूर (संगरूर)

श्री केवल सिंह (भटिंडा)

श्री जसमीत सिंह बरार (फरीदकोट)

1.30 म० प०

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं 24 फरवरी, 1992 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पंक्तालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1284/92]

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1992 में संसद के इस प्रथम अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंजाब से आये नए सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि फरवरी, 1992 में पंजाब में चुनाव कराए जाएंगे। कई गम्भीर समस्याओं के बावजूद इस आश्वासन को पूरा किया गया है। सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि पिछले दशक से पंजाब राज्य आतंकवादी हिंसा का सामना करता रहा है और कई निर्दोष जानें गई हैं। पंजाब की बहादुर जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता के स्थायी मूल्यों में अपनी आस्था को पुनः व्यक्त करने में जिस साहस का परिचय दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है। राजीव-लोंगोवाल समझौता इस दिशा में एक कदम था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अर्थपूर्ण वार्ता और इस प्रक्रिया में राज्य के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए बल मिलेगा।

कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता और हथियार देने तथा संभार-तंत्र का समर्थन देने में सीमा पार के बलों का शामिल होना अब एक सर्वविदित तथ्य है। पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने तथा आतंकवाद को वह जो प्रच्छन्न-अप्रच्छन्न रूप से समर्थन दे रहा है उससे संसार का ध्यान हटाने के लिए व्यापक रूप से गलत और झूठे प्रचार का अभियान चलाया है। आतंकवादी कार्रवाई से अनेक निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं। दो वर्ष से भी अधिक समय से इस राज्य का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कुछ लोगों को जबरन राज्य से भागना पड़ा है और बाहर शरण लेनी पड़ी है। इसमें संदेह नहीं कि जिन लोगों ने स्थान बदला है उनकी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु समस्या का समाधान इस बात में है कि वे अपने घर लौट जाएं जहां सुरक्षित रूप से फिर बस सकें।

सरकार ने सेना की मदद से आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस बात के सभी प्रयास किये जा रहे हैं कि सीमा पर घुसपैठ रोकी जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उग्रवादियों ने हाल में नियंत्रण रेखा पार करने के जो व्यापक प्रयास किए उससे उस क्षेत्र में शान्ति को भारी खतरा उत्पन्न हुआ। देर से ही सही, पाकिस्तान द्वारा की गई जमीनी कार्रवाई और मेरी सरकार द्वारा किए गए राजनयिक प्रयासों से इस गम्भीर खतरे का मुकाबला करने में सफलता मिली। कुछ आतंकवादी ग्रुपों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया है। विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श हुए हैं जिससे कि जनता के साथ एक अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रिया-कलाप में तेजी लाई जा सके। साथ ही, मेरी सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद् का भी गठन किया गया है। सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई भी बातचीत करने के लिए इच्छुक है जो संविधान के ढांचे के भीतर हो।

सितम्बर, 1991 से देश के पूर्वी भाग असम में शान्ति और सामान्य स्थिति फिर से बहाल करने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी थी। सुरक्षा बलों ने अनेक उल्फा उग्रवादियों को

पकड़ा है और उनके हथियार जब्त किए हैं। कुछ उग्रवादियों ने स्वेच्छा से आत्म-समर्पण भी किया है। उल्फा ने बंदी बनाये गए सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है तथा अपने आंदोलन को रोकने की एकतरफा घोषणा कर दी है। उल्फा ने संविधान के ढांचे के तहत असम समस्या के सौहार्दपूर्ण सामाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। उल्फा के साथ बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए असम में फिलहाल सेना की कार्रवाई रोक दी गई है।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने के लिए कानून बनाया है। साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई जारी कर ली गई है। मेरी सरकार की एक वचनबद्धता थी साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन करना। इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय ले लिये गए हैं। इस बल को स्थापना कर दी गई है।

आपको यह याद होगा कि पिछले अधिवेशन में संसद ने कानून बना कर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद् की स्थापना हेतु जनता द्वारा काफी समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। सरकार ने चुनाव शीघ्र करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

मैंने अपने पहले अभिभाषण में देश की विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कठोर निर्णय लिए जाने की बात कही थी। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई आरम्भ कर दी है। भुगतान संतुलन की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हमने बंधक रखे गए सोने को छुड़ा लिया है तथा पूंजी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अन्तर्राष्ट्रीय साख पुन: स्थापित की जा रही है। साथ ही, मेरी सरकार ने अधिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। औद्योगिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाए गए हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया लागू करनी होगी।

नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य पिछले दशक के लाभों को समेकित करना तथा भारतीय उद्योग की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नीति से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। नीति में परिवर्तन की घोषणा के बाद गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवेश प्रस्तावों की संख्या दुगनी हो गई है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को स्वीकृति दिए जाने में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। औद्योगिकी नीति में किए गए परिवर्तनों के साथ-साथ लघु क्षेत्र के उद्योग को सहायता प्रदान करने से लिए एक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। लघु तथा छोटे उद्योग रोजगार प्रदान करने तथा औद्योगिक उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका निभानी

है। केन्द्र सरकार उनसे सहयोग करती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उदारीकृत नीति का लाभ सम्पूर्ण देश को मिल सके।

हम निर्यात कर अधिक जोर देते हैं। लगभग 20 प्रतिशत अपरिहार्य आयात दबाव के बावजूद, सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात में डालर के रूप में 6% की साधारण वृद्धि हुई है। फिर भी, उन क्षेत्रों में जहां भुगतान रुपए में होता है, निर्यात पर बाहरी बाधाओं के कारण संपूर्ण निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार पुनः आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन सबके साथ ढांचागत करार किए जा रहे हैं।

नई नीतियों के परिणामस्वरूप वर्तमान ढांचे में किए जाने वाले परिवर्तनों से जो कामगार प्रभावित होंगे उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है। पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के कार्यक्रम आरम्भ किये जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत की शक्ति उसके कामगार वर्ग में निहित है। श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने और श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के संबंध में समय-समय पर सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने पिछली जुलाई में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है और रोजगार के अवसरों के सृजन, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, विद्यमान कानूनों के सुदृढ़ीकरण और नए विधान तैयार करने के माध्यम से ग्रामीण कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन कर रही है

कीमतों में हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति काफी हद तक राजकोषीय घाटे के कारण हो रही है। एक बार यदि राजकोषीय घाटा कम हो जाए और उस पर काबू पा लिया जाए तो आशा है कि मुद्रास्फीति कम होकर समुचित स्तर तक आ जाएगी। जमाखोरी को रोकने के उपाय और गोदामों से अधिक खाद्यान्न निकालने जैसे अन्य संभव प्रशासनिक कदम उठाये गए हैं। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की दर 16 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर इस समय 12 प्रतिशत रह गयी है। मेरी सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें और कम करने के उपाय करेगी।

हाल ही में किये गये आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन आठवीं योजना का आधार होंगे और आठवीं योजना की विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया है। विकास के इस लक्ष्य को 4,00,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कुल परिव्यय से पूरा किया जायेगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य अधिक रोजगार पैदा करना होगा। योजना की अन्य प्राथमिकतायें हैं—निरक्षरता का उन्मूलन करना, प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना और पीने का पानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस बात पर बल दिया जाएगा कि उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें और गरीब से गरीब तथा सर्वाधिक जरूरतमंद वर्गों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आठवीं योजना में इसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में आठवीं योजना के नीतिगत दृष्टिकोण का राज्यों द्वारा पहले ही समर्थन किया जा चुका है और सरकार को विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी ही विकास की दिशा में जीवन क्षम और स्थिर हो जाएगी।

बिजली, कोयला, इस्पात एवं सीमेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विकास

दर उत्साहवर्धक रही है। सरकार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। बिजली की पूर्ति बढ़ाने और उसे अधिक स्थिर बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आणविक ऊर्जा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देश के विकास के लिए प्रभावी संचार प्रणाली के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क की क्षमता और परिवहन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा, नई नौपरिवहन नीति आरंभ की जा रही है। इंडियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया के ढांचे में भारी परिवर्तन करने का विचार है जिसमें वायुयानों का आधुनिकीकरण और सहायक सुविधाएं शामिल होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे दूरसंचार सेवाओं के नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा।

हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह गर्व का विषय है। उदाहरणार्थ इनसेट-2 उपग्रह का देश में स्वदेशी निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इनसेट-2ए को अगले महीने छोड़े जाने की संभावना है। अगले एक वर्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यान के योजनाबद्ध प्रक्षेपण के साथ ही भारत उन इने-गिने देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास अपनी प्रक्षेपण क्षमता है। बायोटैक्नोलोजी की असीमित क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाएगा जो कृषि, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों मे प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इलैक्ट्रोनिकी की क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा ताकि इससे हमारे देश की जनता को सुनिश्चित लाभ हो सके। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा होने वाले लाभों का एक अन्य उदाहरण है नई गर्भ निरोधक गोली का तैयार किया जाना। इन्हें अंततः, सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ-साथ, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को हमारी जनता के जीवन स्तर से इस प्रकार पूर्णतः संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि उसमे सुधार हो सके।

हर दृष्टि से प्रगति में तेजी लाने के लिए भी पर्यावरण के प्रति सभी को अर्थात् सरकार, उद्योग और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस लक्ष्य को सामान्य नियामक उपायों के साथ-साथ वित्तीय प्रोत्साहन और प्रतिबंध की योजना द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोग के अधिकार के साथ-साथ भागीदारी आधार पर अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण में जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सहबद्ध करने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। 1985 में चलाए गए परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और देश में 50 जिलों मे सूक्ष्म जल विभाजकों के समन्वित विकास का आरम्भ करने का प्रस्ताव है। गंगा नदी स्वच्छ करते समय प्राप्त हुए अनुभव से मेरी सरकार का यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत इस नदी की मुख्य सहायक नदियों और अन्य बड़ी नदियों के समग्र रूप प्रदूषित नालों को साफ करने का काम हाथ मे लिया जाए। भारत पर्यावरण और विकास के संबंध में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि इस सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा की जाए।

विश्व की सर्वाधिक दुखद औद्योगिक घटना 2 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में हुई। इस दुखद घटना के परिणामस्वरूप हजारों लोगों का जीवन बरबाद हो गया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और उन्हें राहत प्रदान करने की स्वयं जिम्मेदारी ली है। 3 अक्तूबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के निदेश से कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर दी

गई हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए।

पर्यटन का क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जो कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। सरकार ने, राज्य सरकारों, ट्रैवल ट्रेड और होटल उद्योग के सहयोग से, पर्यटन के विकास को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किये हैं। इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गये हैं तथा पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है। मेरी सरकार की पर्यटक कार्य योजना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पर्यटक सुविधायें मुहैया कराना, उदार चार्टर नीति तथा समन्वित विकास के लिए विशेष पर्यटक केन्द्र स्थापित करना और घरेलू और कम बजट के पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए चुनिंदा गन्तव्य स्थलों पर व्यापक सुविधा प्रदान करना शामिल है। हमारे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने देश को बेहतर ढंग से जान सकें तथा समझ सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार युवा पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

भविष्य में हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। कृषि, जिसमें खाद्य उपज, बागवानी, मत्स्य उद्योग, पशु प्रजनन तथा मुर्गी पालन शामिल हैं, के क्षेत्र में हमने जो तेज प्रगति की है, उसका श्रेय हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हुई प्रगति को है, किन्तु इस प्रगति की कहानी अन्य सभी बातों के अतिरिक्त भारतीय किसान के जीवन तथा उनके धैर्य और दृढ़ निश्चय की भी कहानी है। 1990-91 का वर्ष लगातार ऐसा तीसरा कृषि वर्ष रहा, जब खाद्यान्न उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून का रुख अल्पकालिक और स्थानिक स्वरूप का रहा है, जिसके कारण उत्पादन में कुछ गिरावट आने की आशंका है। हालांकि हमारे अनुसंधानकर्ता अब ऐसी तकनीक तैयार कर रहे हैं जिससे कि मौसम की अनिश्चितता का प्रतिकार हो सके, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूमि सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आगे और अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि भारत की कृषि का 70 प्रतिशत भाग वर्षा के जल से सिंचित खेती पर आधारित है। मेरी सरकार ने फसल के उन्नत तरीकों, कारगर विनाशकारी कीटों पर नियंत्रण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा स्थानीय नमी को सुरक्षित रखने जैसे उपायों के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए पहले ही बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बागवानी, पशुपालन, पशुधन विकास और कृषि प्रसंस्करण के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन के क्षेत्र में सहकारी और अनुसंधान प्रयासों को और तेज किया जाएगा। इनमें तथा अन्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। तिलहनों, दालों और अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार उत्पन्न करने और कृषि के विविधीकरण के लिए अनुसंधान पर बल दिया जाएगा।

हाल ही में, राज्यों के बीच जल के बंटवारे से जुड़े सवालों के कारण क्षोभ और तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार, जल का

बंटवारा व्यापक राष्ट्रीय हित में न्यायसंगत रूप में हो। जल एक प्रवाहशील तत्व है, इसकी मात्रा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में घटती-बढ़ती रहती है। इसकी व्यवस्था, इससे सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच परस्पर समझदारी और सहयोग की भावना से सौहार्दपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। नदियों को विवाद का विषय होने की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने वाली शक्ति होना चाहिए। किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के पानी को प्रयोग में लाने से संबंधित सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार इस उद्देश्य के लिए विधि द्वारा स्थापित अधिनिर्णयन कार्य-प्रणाली के माध्यम से इन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेगी।

सबसे अधिक कमजोर वर्गों के लिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के जरिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने हेतु प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। लोगों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि इस पर उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है। पेय जल की समस्या वाले सभी गांवों को, जिनकी पहचान कर ली गई है, 1992-93 के अंत तक पेय जल साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुदूर गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने की श्री राजीव गांधी की वचनबद्धता का सम्मान करते हुए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल संबंधी टैक्नोलोजी मिशन को, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन का नया नाम दिया है। इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाकर ग्रामीण आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है ताकि लोगों को प्रभावी राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस संबंध में सितम्बर, 1991 में लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी कम भयानक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं जारी रहेंगी। जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत की जाने वाली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण संबंधी क्रिया-कलापों के लिए समुचित वातावरण तैयार करना होगा और जनता को, विशेषत: कमजोर वर्गों को सहायता देनी होगी ताकि वे अपने लिए विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, वित्त व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से उचित मूल्य पर घर प्राप्त कर सकें। सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के तहत कम लागत वाली सफाई योजना चलाकर मानव द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। देश के 740 से भी अधिक कस्बों में शुष्क शौचालयों को कम लागत वाली सफाई यूनिटों में बदलने की योजना पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। मैला ढोने वाले लोगों के पुनर्वास का काम भी किया जा रहा है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया है जिसके अधीन मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा को अपराध माना जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हो सकें।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर बारबार हो रही अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रखकर अक्तूबर, 1991 में मुख्य मंत्रियों के एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान पर राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे तनाव बहुल क्षेत्रों का पता लगाएं, और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम उठाएं। अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के संदर्भ में सरकार, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में उनके अनुपात को बढ़ाने के उपाय करती रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस समय तीसरा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल के मेरे अभिभाषण में किए गए वायदे के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत प्रदत्त पूंजी वाले एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम का गठन किया गया है।

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और लोक सेवाओं में नियोजन और विकास योजनाओं से होने वाले लाभ के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जा रहा है।

मेरी सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद् को सांविधिक दर्जा दिए जाने का निर्णय किया है। यह परिषद् अपंगों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण का मानदण्ड स्थापित करती है। सरकार ने मंदबुद्धि तथा मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास का गठन करने के लिए कानून बनाने का भी निर्णय लिया है।

सरकार महिलाओं और बच्चों, जो हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं, की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार आठवीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास विकास योजना संबंधी कार्यक्रम को व्यापक बनाएगी ताकि इसमें समस्त देश को शामिल किया जा सके। बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें उनके पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक जरूरतों पर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा। सरकार भली-भांति जानती है कि महिलाओं का केवल विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की समानता के प्रश्न का अन्ततः उत्तर यह है कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनको संगठित किया जाए जिससे उन्हें अधिकार मिलें तथा उनके लिए अच्छी आय और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। अतः सरकार इंदिरा महिला योजना को कार्यान्वित करेगी। इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है।

सरकार यह सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है कि लोगों को अपनी आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न बनी रहे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर वितरण प्रणाली के संबंध में सचेत रहना और उसका पर्यवेक्षण करना होगा जिसमें इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से पहल करनी

होगी और विशेष रूप से महिलाओं को यह काम सौंपना होगा ताकि इस व्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों और गलत तरीकों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यपालन में सुधार लाने का प्रयास करते समय देश के दूरदराज के क्षेत्रों और अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लगभग 1700 ब्लाकों में इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र और शहरी गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत आते हैं। उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्रेडिट सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को और व्यापक बनाया जाएगा। राज्य सरकारों के घनिष्ट सहयोग से इस दिशा में पहले ही उपाय शुरू किए जा चुके हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और बनाई रखी जा सके और यह अभियान जारी रहेगा। मेरी सरकार एक नए सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार मानती है। जवाहर रोजगार योजना और समेकित बाल विकास सेवा योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ समुचित तालमेल रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन देश में 28 राज्य आयोग और 360 जिला फोरम कार्य कर रहे हैं। मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया है कि शेष राज्य आयोगों और जिला फोरम की भी स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें कि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। जिला फोरम में अभी तक दायर की गई 33,851 शिकायतों में से 82% शिकायतों का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त दल की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई। इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों के सम्बन्ध में इस कार्यदल की सिफारिशों पर शीघ्र ही केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में विचार किया जाएगा।

सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, अन्धता नियन्त्रण और एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम सहित 14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। हर वर्ष कालाजार की सूचना मिल रही है और हाल ही में इसने बिहार में महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसको युद्ध स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एड्स की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्त सुरक्षा की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले ही कार्यक्रम तैयार कर लिया है। कुष्ठ रोग की वर्तमान दरों में अत्यधिक कमी हुई है और रोगियों को इससे मुक्ति दिलाने में सुधार हुआ है। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं को स्थायी रूप से उन्नत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। टीका निवार्य रोगों में सामान्यतया कमी आयी है। पोलियो के रोग में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। काली खांसी और डिप्थीरिया के रोगों में भी अत्यन्त कमी आयी है।

जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे संशोधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। मेरी सरकार ने जन्म-दर में भारी कमी लाने के लिए हाल के महीनों में समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें गुणवत्ता में सुधार लाने और सेवाओं को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। अब यह साबित हो गया है कि जिन क्षेत्रों में साक्षर महिलायें कम हैं, विवाह के समय लड़कियों की उम्र कम है और नवजात शिशु तथा प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है वहां जन्म दर ऊंची बनी हुई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएंगे। देश के उन 90 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें प्रति हजार जन्म-दर 39 से भी अधिक है। राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रियों की बैठक में और राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस कार्य योजना की समीक्षा की गई और इसका समर्थन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस कार्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की एक उपसमिति भी गठित की है जो सभी उपायों के लिए बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। जनसंख्या की समस्या केवल केन्द्र और राज्य सरकारों की ही चिन्ता का विषय नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, आम जनता के अन्य नेताओं—वास्तव में हम सभी अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लोगों को इन प्रयासों में भाग लेना होगा। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति आज की सबसे बड़ी जरूरत है और संसद को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

संसद ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की थी और उसके तुरन्त बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई विकासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा नीति में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जाए। जांच प्रक्रिया पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस नीति की अनिश्चितता अब समाप्त हो जाएगी, जिसमें मुख्यत: 1986 की शिक्षा नीति पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, जिसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मई, 1988 में शुरू किया था, महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। वास्तव में आप सबके साथ मुझे भी इस बात का गर्व है कि केरल और पांडिचेरी के सभी जिलों और अन्य कई राज्यों ने निरक्षरता उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के लगभग 70 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं। इन जिलों के इन अभियानों में विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 3 करोड़ निरक्षरों को शामिल किया जाएगा और इन पर 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अभियान स्वयंसेवी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से चलाये जा रहे हैं। परन्तु इस दिशा में हमें अभी बहुत काम करना है और हमें यह संकल्प लेना है कि हम आठवीं योजना के अन्त तक देश के सभी भागों को, विशेषकर 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का महान और चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमें प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में भी कार्य करना है, जो सबकी पहुंच में हो, जिसमें सबकी सहभागिता हो और न्यूनतम स्तर तक सबको सुलभ हो। प्राथमिक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था को केन्द्र द्वारा प्रायोजित आपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। यह स्कीम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। देश के कुल 5.7 लाख स्कूलों में से 3.8 लाख स्कूलों को इसमें पहले ही शामिल कर लिया गया है। 70,000 से अधिक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 620 करोड़ रुपए की सहायता

पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्कूल की औपचारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 2.45 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अन्य 27 हजार केन्द्र 410 स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए 208 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि डिग्रियों को नौकरियों से कारगर रूप में अलग रखा जाए और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को कार्य तथा व्यवसाय प्रधान बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अधीन केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। यह संस्थान शिक्षा के व्यवसायीकरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगा। तकनीकी शिक्षा के सुधार पर निरन्तर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। यह आवश्यक है कि शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए और उत्कृष्टता के मानदण्ड स्थापित करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए।

पिछले वर्ष जुलाई में जब मैंने संसद में अभिभाषण किया था उसके बाद विश्व में घटनायें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बीच का यह समय भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक व्यस्तता-पूर्ण रहा है।

सरकार की विदेशी नीति की प्राथमिकताएं भारत की एकता और प्रादेशिक अखंडता बनाये रखना है, ताकि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और शांति का स्थायी वातावरण तैयार करके अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और विदेशों में स्वस्थ आर्थिक वातावरण बना करके अपनी जनता के आर्थिक कल्याण के अनुकूल एक संरचना का निर्माण कर सकें। प्राथमिकताओं की इस संपूर्ण संरचना में हम निस्संदेह न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के प्रति सचेत हैं बल्कि हम यह भी भली-भांति जानते हैं कि हमारा भाग्य एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर करता है। भारत में बहुत पहले 1947 में ही आयोजित किया गया प्रथम एशियाई-संबंध-सम्मेलन इस तथ्य का प्रमाण है कि यह आरम्भ से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा है। भारत की नीतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि वे पुनरुत्थानशील एशिया के अनुकूल हों, क्योंकि हमें आशा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी।

अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हमें आशा है कि पिछले दिसम्बर में कोलम्बो में बुलाये गये दक्षेस शिखर सम्मेलन से दक्षेस के ढांचे के अंतर्गत आने वाले दक्षिण एशियाई देशों में और अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के एक गुणात्मक नये युग का सूत्रपात हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सहयोग के महत्वपूर्ण द्वार खुलेंगे जो हमारे उन संबंधों की अभूतपूर्व निकटता को मजबूती प्रदान करेंगे जो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का आविर्भाव होने से सुदृढ़ हुए हैं।

चीन के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा हमारे संबंधों को और विकसित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हमने उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंत-

राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा अपनी आपसी समझबूझ को बढ़ाया है।

हम बंगलादेश में लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण बदले हुए परिपेक्ष्य में, दोनों देशों के बीच और अधिक संबंध हो जाने के परिणामस्वरूप बंगलादेश के साथ पारम्परिक मैत्री सम्बन्धों के और अधिक विस्तार के लिए उत्सुक हैं।

हम श्रीलंका के साथ दोनों देशों के बीच पारम्परिक और ऐतिहासिक सम्बन्धों को बनाये रखते हुए, द्विपक्षीय संबंधों को सदृढ़ और गहरा बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। श्रीलंका सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर श्रील[illegible]ण[illegible] की स्वैच्छिक स्वदेश वापसी 20 जनवरी, 1992 से शुरू हो गई है और यह वापसी जारी है

मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध 1991 के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर हुई अनेक यात्राओं के कारण और अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

समय-समय पर होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के फलस्वरूप भूटान के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंधों में निकट की समझदारी और सहयोग को बनाये रखने और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति नकारात्मक रुख अपनाना और पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सहयोग देना, सम्बन्धों को सामान्य बनाने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। पाकिस्तान की उसकी हरकतों से उत्पन्न होने वाले उन खतरों से बार-बार आगाह किया गया है जिन्हें वह शिमला समझौते और पूरी दुनिया द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय आचरण के उल्लंघन द्वारा कर रहा है। हमने इसके बावजूद विश्वास बनाने की प्रक्रिया और द्विपक्षीय वार्तालाप को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं। दुर्भाग्यवश, हाल ही में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान नेशनल असेम्बली ने ऐसे बयान दिये हैं और ऐसे कार्य किये हैं जिनसे माहौल दूषित हो गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के बीच तनाव मुक्त और अच्छे पड़ोसी संबंध स्थापित करने के हमारे महत्वपूर्ण प्रयासों में सहयोग करेगी।

26 दिसम्बर, 1991 को हमने रूसी संघ और भूतपूर्व सोवियत संघ के अन्य सभी गणराज्यों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। रूस को एक उत्तराधिकारी राज्य का दर्जा मिला है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भूतपूर्व सोवियत संघ का स्थान ले लिया है। हमने न केवल रूस के साथ बल्कि अन्य गणराज्यों के साथ भी अपने परम्परागत निकटवर्ती सम्बन्धों को बरकरार रखने की कोशिश की है। मास्को में अपने दूतावास के साथ-साथ उक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस में भी दूतावास खोलने और उजबेकिस्तान के तासकंद में अपने महावाणिज्य दूत का दर्जा बढ़ाने की हमारी योजना है। इन स्वतंत्र गणराज्यों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों का नया स्वरूप देने और उनके साथ अपने लम्बे समय से चले आ रहे व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को बनाए रखने की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस और उक्रेन की यात्रा की। मध्य एशियाई गणराज्यों के अनेक नेताओं ने भारत की यात्रा की है और अगले कुछ महीनों के दौरान और यात्रा करने की संभावना है। इन यात्राओं के दौरान हम अपनी ऐतिहासिक मित्रता वाले इन देशों के साथ अपने राज-

नीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए उचित करारों को अन्तिम रूप देना चाहेंगे।

लोकतंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल्यों और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के संबंध में अमेरिका के साथ हमारी वैचारिक समानता, विश्व के इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निकट सहयोग का एक सशक्त आधार प्रदान करती है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों ही मंचों पर हमारे व्यापक विचार-विमर्श में शांति, सुरक्षा और आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों सहित कई अन्य मामले भी शामिल हैं। अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है। वह अस्थायी आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने के हमारे प्रयासों और आर्थिक सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने में हमारा समर्थन करता रहा है। हम अमेरिका के साथ एक दीर्घकालीन और पारस्परिक लाभ की आर्थिक साझेदारी की आशा करते हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक के दौरान राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ एक उपयोगी बैठक की। इस बैठक में हमारे द्विपक्षीय और बहुआयामी सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में गहरी आपसी दिलचस्पी दिखाई गई।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ हम अपने सम्बन्धों को विशेष महत्व देते हैं। हम अरब के हित, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के न्यायिक और अविच्छेद्य अधिकारों के संघर्ष को वर्षों से निरन्तर एवं स्पष्ट समर्थन देते रहे हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने तथा अरब राज्यों और इजराइल के बीच अरब-इजराइली विवादों के न्यायसंगत एवं उचित समाधान ढूंढने के लिए बातचीत जारी रखने का स्वागत किया है।

इस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम इजराइल के साथ व्यापक और बहुआयामी संबंध स्थापित करना चाहते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष में हमारे अनुकूल और प्रभावी समर्थन के कारण दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारत की अच्छी साख बनी है। हमें गर्व है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष के कारण 1990 से वहां ठोस सुधार हुए हैं।

कम्बोडिया संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों में हमने उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। शान्ति प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के संबंध में कम्बोडिया पर हुए पैरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देशों के साथ-साथ भारत का भी विशेष उल्लेख किया गया।

हमने 1987 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिजी के मामले को उठाकर और राष्ट्रमंडल में फिजी के पुनः प्रवेश का विरोध करके फिजी में जातीय भेदभाव स्थापित करने के प्रयासों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।

इस समय विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जापान की स्थिति परस्पर सम्बन्ध के व्यापक मामलों में जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विश्वास है कि यह शान्ति एवं प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हमारे पुराने सांस्कृतिक और द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जिसने बहुत ही कम समय में तेजी से प्रगति की है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र के साथ हमारे पारम्परिक आर्थिक क्रिया-कलाप को सुदृढ़ करने के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मेरी सरकार "एसियान" और इसके सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता देती है। हमें आशा है, "एसियान" के साथ हमारी क्षेत्रीय वार्ता जल्दी शुरू होगी।

पिछले दिसम्बर में मास्ट्रिख शिखर सम्मेलन के बाद आधुनिक विश्व में एक सुदृढ़ राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के रूप में यूरोप का प्रादुर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपीय समुदाय व्यापार में हमारा मुख्य भागीदार, और निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और हम अपना सहयोग और अधिक बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। हमारे प्रधान मन्त्री का सबसे पहला विदेशी दौरा जर्मनी का था, जहां उन्होंने जर्मनी के नेताओं से दोनों देशों के पारस्परिक महत्व और सहयोग के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया। हमने यूनाईटेड किंगडम, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ भी उपयोगी वार्ता की।

शीत युद्ध के अन्त में हाल में हुई घटनाओं और उससे सम्बन्धित मुद्दों के कारण हुए आमूल परिवर्तनों से यह निश्चित है कि यह नया स्वरूप संघर्ष विरोधी संदर्भ और व्यवस्था की संरचना में उत्तरी-दक्षिण देशों के सम्बन्ध एक नया रूप धारण करेंगे। विश्व के विकासशील देशों को अपने आपको विकास की इस नई गति के अनुकूल बनाना होगा जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में समान समृद्धि प्राप्त करना होगा। खुशहाल एवं संतुष्ट मानव जाति के इस स्वप्न को साकार करने में विश्व-शान्ति और व्यापक निरस्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत इस स्वप्न को साकार करने का भरसक प्रयास करेगा।

इसी प्रकार बहुपक्षीय स्तर पर भी हमने प्राथमिकताओं की समग्र संरचना के भीतर ही अपना सहयोग प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अत्यधिक तेजी से होने वाले विश्वव्यापी विकास के अनुरूप हो रहा है। हमने इसकी स्थायी प्रासंगिकता के प्रति अपना विश्वास पुनः प्रकट किया है। इसके सिद्धान्त में राष्ट्रीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता आज जितनी प्रासंगिक है उतनी पहले कभी नहीं थी। जी-15 और राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर प्रधान मंत्री ने न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त किए बल्कि बहुपक्षीय कार्यसूची के विकास सम्बन्धी मुद्दों की प्रधानता और महत्ता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उरुग्वे वार्ता का दौर निर्णायक चरण में पहुंच गया है। हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करते रहेंगे और एक अच्छे और संतुलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने के अपने प्रयासों में सुधार लायेंगे।

पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व और ध्यानाकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनते जा रहे हैं। हम बहुपक्षीय सहयोग के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विश्वव्यापी भागीदारी का समर्थन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में विकासशील देशों के विकास की आवश्यकताओं को समन्वित करना है।

हमारा विश्वास है कि न्यूक्लियर शस्त्रों के विश्वव्यापी प्रसार को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मुद्दों के सम्बन्ध में विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः सीमित

न्यूक्लियर-अस्त्र मुक्त क्षेत्र जैसे अंशतः या खंडतः किए गए उपायों की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती बल्कि ये उपाय हमारे अन्तिम लक्ष्य से हमारा ध्यान विचलित कर सकते हैं।

31 जनवरी, 1992 को हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की उस नई एवं प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया जो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अदा की थी। हमारे प्रधान मंत्री के इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की जैसे मानव अधिकारों के लिए और विश्व में एक न्यायसंगत एवं उचित आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार क्षेत्र के बारे में आम सहमति बनाना और राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा के बारे में एकमत स्थापित करना। इस सम्मेलन ने विश्व के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और नए महासचिव को अपना समर्थन देने का संकल्प करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारत भविष्य की ओर तेज और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनसे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिन्दगी जी सके और भारत विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव में अपनी पहचान बनाये रख सके। इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइये, हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल डालें। हम नए रास्ते खोजने में पीछे न रहें। हम अपने दृष्टिकोण में नवीनता लायें तथा निडर रहें। आज की कठिनाइयां उज्ज्वल भविष्य की सूचक हैं। किन्तु भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम अपने दृष्टिकोण में अनुशासन और दृढ़ता लायें। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द के लिए हिंसा का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व गौण हो जाएगा।

माननीय सदस्यगण से इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय महत्व के बड़े कार्यों पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श विवेकशील तथा बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में जुट जायें। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

1.31 म०प०

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम दो माह के अन्तराल के पश्चात् मिल रहे हैं, मुझे अपने पांच भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री दौलत गुलाजी गवई, छोटे लाल, पशुपति वेंकट रमय्या, संत बक्स सिंह और कल्याण सिंह सोलंकी के दुःखद निधन की सभा को सूचना देनी है।

श्री दौलतराम गुलाजी गवई 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के बुलढ़ाना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गवई पेशे से कृषक थे और इसके साथ-साथ एक प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज के दलित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया।

उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रियतापूर्वक भाग लिया था तथा महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

श्री गवई का निधन 66 वर्ष की आयु में 24 दिसम्बर, 1991 को हुआ।

श्री छोटे लाल 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के चैल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री छोटे लाल ने सरकारी सेवा से अपना जीवन आरंभ किया और उसके बाद राजनीति में आये। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अनेक संगठनों में अनेक पदों पर कार्य किया।

श्री छोटे लाल एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों के कल्याण के लिए जोरदार कार्य किया।

श्री छोटे लाल का निधन 66 वर्ग की आयु में 2 जनवरी, 1992 को इलाहाबाद में हुआ।

श्री पशुपति वेंकट राघवैया भूतपूर्व मद्रास राज्य के ओंगोल निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा के सदस्य रहे।

एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कृषि श्रमिकों तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण में गहरी रुचि ली।

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के स्वतंत्रता सेनानी संगठन के साथ जुड़े रहे।

श्री पशुपति वेंकट राघवैया का निधन 73 वर्ष की आयु में 10 जनवरी, 1992 को हुआ।

श्री संत बक्स सिंह 1967 से 1977 तक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से वकील होने के साथ-साथ वह एक योग्य सांसद थे और लोक सभा की कार्यवाही, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाही में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया।

वह एक प्रमुख सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। वह अनेक संगठनों से संबद्ध रहे तथा उनमें विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह एशियन-अफ्रीकन सोशलिस्ट सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष होने के साथ-साथ दिल्ली तथा बनारस विश्वविद्यालयों की कोर्ट के सदस्य भी थे।

श्री सिंह ने देश-विदेश का व्यापक भ्रमण किया था तथा वह 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री संत बक्स सिंह का निधन 61 वर्ष की आयु में, 15 जनवरी, 1992 को इलाहाबाद में हुआ।

श्री कल्याण सिंह सोलंकी उत्तर प्रदेश के आंवला निर्वाचन क्षेत्र से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक कृषक होने के साथ-साथ श्री सोलंकी एक प्रख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे।

योग्य सांसद के रूप में श्री सोलंकी ने निर्धन लोगों और कृषकों के कल्याण के लिए कार्य किया और सभा में उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया।

श्री कल्याण सिंह सोलंकी 15 जनवरी, 1992 को 48 वर्ष की अल्पावस्था में एक हत्यारे की गोली का शिकार हुए।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरा साथ देगी।

अब सभा में मृतकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन रखा जाएगा।

[तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

1.35 अ० प०

रेलवे बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमें बताया नहीं गया है परन्तु समाचार पत्रों में खबर छपी है कि सायं 5.00 बजे रेलवे बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। बम्बई में महानगर चुनावों के कारण इसके समय में परिवर्तन किया गया है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में हमें स्पष्ट रूप से बताया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसका समय क्यों बदला गया है? यह निर्णय किसने लिया? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे पहले दिन ही इस प्रश्न को उठाने की अनुमति प्रदान की है। मैं आपको इस सम्बन्ध में पहले ही लिख और कह चुका हूं क्योंकि हम संसद सदस्यों को लोक सभा द्वारा जारी किए गए एक बुलेटिन द्वारा औपचारिक रूप से यह बताया गया था कि 25 तारीख को प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ही सभा में रेलवे बजट प्रस्तुत किया जायेगा। इस माह की 12 तारीख को विधिवत यह बुलेटिन जारी किया गया था।

फिर सात दिन के पश्चात् 19 तारीख को हमारे पास एक और दूसरा बुलेटिन भेजा गया था कि इससे पूर्व जारी किये गए बुलेटिन में संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि 25 तारीख को सायं 5.00 बजे रेलवे बजट प्रस्तुत किया जायेगा। इससे मुझे जिज्ञासा हुई अध्यक्ष मैं जानता हूं कि यदि 26 अथवा 27 तारीख को भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता तब भी किसी

भी प्रकार की परम्परा का हनन नहीं होता और संसद में यदि एक ओर नियम महत्वपूर्ण हैं तो वहीं दूसरी ओर परम्पराएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा चूंकि यह एक परम्परा रही है कि सामान्य बजट फरवरी के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाता है और चूंकि यह लीप का वर्ष है अतः यद्यपि 29 फरवरी कार्यदिवस नहीं है, उस दिन शनिवार है जो कि आमतौर पर कार्यदिवस नहीं होता है, परन्तु केवल परम्परा का निर्वाह करने के लिए ही आपने यह ठीक ही निर्णय किया था कि सामान्य बजट 29 तारीख को सायं 5.00 बजे प्रस्तुत किया जायेगा और हम सभा में ठीक 5.00 बजे एकत्र होंगे। उस दिन सभा में अन्य कोई कार्य नहीं होगा। परन्तु इस मामले में मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष ने ही आपसे अनुरोध किया है कि 12.00 बजे के स्थान पर 5.00 बजे रेल बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बजट पेश किए जाने का समय बदले जाने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। इसका केवल एक ही कारण हो सकता है अथवा संसदीय कार्य मंत्री मुझे बतायें, मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसे ठीक कर दें परन्तु मुझे इस सबके पीछे बम्बई में होने वाला चुनाव ही एकमात्र कारण नजर आ रहा है। यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए हम सभा की परम्पराओं के साथ समझौता नहीं कर सकते। वे संसदीय परम्पराएं हैं और संसदीय परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए तथा आप इन परम्पराओं के संरक्षक हैं। परन्तु चूंकि राजनैतिक और चुनावी कारणोंवश सत्तारूढ़ दल ने आपसे बजट प्रस्तुत करने का समय 12.00 बजे के स्थान पर सायं 5.00 बजे करने का अनुरोध किया है और आपने सहमति दे दी हैं। आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यद्यपि हमें इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मैं आपसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को उसके पूर्व निर्णय के अनुसार कल 12.00 बजे बजट प्रस्तुत करने के लिए कहें···(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : रेल मंत्री ने यह संकेत दिया है कि माल भाड़े की दरों में वृद्धि की जायेगी···(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 12.00 बजे प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात्। ठीक है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह परिवर्तन क्यों किया गया ? महोदय, इसके लिए आपको इस विषय में सदन के समक्ष एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसमें परिवर्तन क्यों किया गया ?·····(व्यवधान)। क्या यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे जब भी चाहें अपना निर्णय बदल लें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे संसद के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यह बहुत ही लापरवाही-पूर्ण दृष्टिकोण है···(व्यवधान)···क्या संसद उनकी सुविधानुसार कार्य करेगी ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद की गरिमा को आहत मत कीजिए। इसके महत्त्व को धक्का मत पहुंचाइए···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह कहना चेयर का काम है। कल कितने बजे लिया जायेगा, यह भी चेयर ही डिसाइड करेगी। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : सत्र के पहले ही दिन मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। खैर, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि तिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से तथा समय सम्बन्धित सचिवालय द्वारा निश्चित किया जाता है। हम 12.00 बजे के बाद का समय निश्चित करते रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ अपवाद भी हैं। यह पहली बार हो रहा है कि हम रेलवे बजट 5.00 बजे मध्यान्ह पश्चात् प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने 12.45, 2.45 तथा 3.00 म० प० पर भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया है। इस मामले में जब हमें पत्र प्राप्त हुआ तो हमने सोचा कि जब दूरदर्शन पर बजट का सीधा प्रसारण हो रहा है तो इससे सारे देश में बजट प्रस्तुत होता हुआ देखा जा सकेगा। अब जबकि आपने यह मुद्दा उठाया है तथा यह उचित भी है तथा अगर सभा की यह इच्छा है कि यह 12.00 बजे प्रस्तुत किया जाये तो यह 12.00 बजे ही प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आप चाहें कि इसे 5.00 बजे म० प० पर प्रस्तुत किया जाये तो यह 5.00 बजे भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : 11.00 बजे म० पू०, लोग राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुन सकेंगे···(**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : हम यह चाहते है कि 12.00 बजे प्रस्तुत किया जाये···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निर्णय सभा के दोनों पक्षों—सत्ता पक्ष तथा विपक्ष—पर छोड़ता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधानमंत्री महोदय ने पहले ही घोषणा कर दी है कि रेल बजट 12.00 बजे प्रस्तुत होगा।···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आगे के लिए भी रूलिंग दे दीजिए कि 12.00 बजे ही होगा। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हो रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अगर सभा की यह इच्छा है कि बजट 12.00 बजे प्रस्तुत किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री राम कापसे : हम यह चाहते हैं कि 12.00 बजे प्रस्तुत हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। 12.00 बजे ही प्रस्तुत होगा। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री जैकब।

1.45 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मणिपुर तथा मेघालय राज्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एल० जैकब) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 31(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1992 को दिया गया आदेश, जो 7 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 32(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1285/92]

(2) राष्ट्रपति को भेजे गये मणिपुर के राज्यपाल के 2 और 5 जनवरी, 1992 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1286/92]

(3) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा मेघालय राज्य के संबंध में उनके द्वारा 11 अक्तूबर, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 5 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 85(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1287/92]

राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः 28 दिसम्बर, 1991, 4 जनवरी, 1992, 19 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्या 9), लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 1), लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 2)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसम्बर, 1991 को प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्या 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1288/92]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1289/92]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1290/92]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1291/92]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1292/92]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1992 का प्रख्यापित प्रतिभूति और भारतीय आदान-प्रदान बोर्ड अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1293/92]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1992 को प्रख्यापित लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1294/92]

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को प्रख्यापित खनिज पर उपकर तथा अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 7)।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1295/92]

1.46 म०प०

रेल अभिसमय समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री एम० डागा रेड्डी (मेडक) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.46½ म०प०

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.47 म०प०

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि श्री मोहन सिंह यहां पर उपस्थित हैं। हम यह चाहेंगे कि वे शपथ ग्रहण करें।

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)

---

*दिनांक 24-2-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 फरवरी, 1992, मंगलवार को 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

1.48 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 फरवरी, 1992/6 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली 110053 द्वारा मुद्रित ।